प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 16.02.2021

हत्या का प्रयास करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध पिस्टल–कारतूस बरामद :–

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना के कुशल निर्देशन में अपराध एवं सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के थाना लालगंज पुलिस को मु0अ0सं0 90/21 धारा 147, 148, 504, 506, 307 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. विकास सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी कोडरा मादूपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ।
02. शैलेन्द्र सिंह पुत्र शिव नारायण सिंह निवासी कोडरा मादूपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण–

01. **घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी पिस्टल 7.65 बोर, एक अदद खोखा कारतूस तथा दो अदद जिन्दा कारतूस।**

दिनांक 13.02.2021 को थानाक्षेत्र वादी आद्या प्रसाद यादव पुत्र रामदेव यादव नि0 कोड़रा मादूपुर, तेजगढ़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा राशन न देने की बात को लेकर हुए विवाद में कोटेदार के पुत्र सुजीत सिंह, वर्तमान प्रधान के पति विकास सिंह व शैलेन्द्र सिंह के द्वारा उनके साथ मारपीट/गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 87/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वादी आद्या प्रसाद उपरोक्त द्वारा पंजीकृत कराये गये उक्त मुकदमें की रंजिश में दिनांक 14.02.2021 को अभियुक्तगण विकास सिंह आदि 05 नफर अभियुक्तों द्वारा वादी के घर पर जाकर गाली गलौज करते हुये जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 90/21 धारा 147, 148, 504, 506, 307 भादवि का अभियोग बनाम विकास सिंह, शैलेन्द्र सिंह, अमित सिंह, विपुल सिंह व एक व्यक्ति अज्ञात** के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना लालगंज पुलिस को कड़े निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री रणजीत सिंह भदौरिया द्वारा घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों विकास सिंह, शैलेन्द्र सिंह, अमित सिंह, विपुल सिंह की गिरफ्तारी हेतु लगातार सम्भावित स्थानों पर चेकिंग/तलाश/दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 15.02.2021 को उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र के सई नदी पुल कमौरा के पास से उक्त अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों विकास सिंह व शैलेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल, 01 अदद खोखा कारतूस व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग–

1. **मु0अ0सं0 90/21 धारा 147, 148, 504, 506, 307 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ।**
2. **मु0अ0सं0 94/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।**
3. **मु0अ0सं0 95/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ।**

पुलिस टीम– उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 05 लीटर कच्ची अवैध शराब

जनपद के थाना नवाबगंज से उ0नि0 विनोद कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के मद्दूपुर नहर पुलिया के पास से एक अभियुक्त निशा पत्नी बुधई उर्फ राजेन्द्र निवासी मद्दूपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को 05 लीटर अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 15/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

01 वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तारः—

जनपद के थाना रानीगंज से उ0नि0 अजीत कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मु0नं0 2536/19 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित वारन्टी अभियुक्त बब्लू सिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी प्रजापतिपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः—

जनपद के थाना रानीगंज से उ0नि0 अजीत कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 84/20 धारा 498ए, 493, 504, 506, 376 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विनोद कुमार गुप्ता पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी कटरा सारीपट्टी थाना बहरिया जनपद प्रयागराज को थानाक्षेत्र के जामताली मोड़ से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 16.02.2021